न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उप जिला मजि. बसवा
जिला–दौसा

प्रकरण संख्या :–16 / 2023
प्रकरण रज्जु दिनांक :– 31.3.2012
निर्णय दिनांक :– 31.7.2023

प्रकरण अंतर्गत अस्थाई निषेधाज्ञा धारा 212
प्रकरण का उनवान

काली पुत्री कल्याण वगैरह जाति मीना निवासी परोता का बास

(प्रार्थीगण)

बनाम

बद्री पुत्र रेवड वगैरह जाति मीना निवासी काटरवाडा

(अप्रार्थीगण)

–: निर्णय वास्ते अस्थाई नि. आदेश के संबंध में:–

दिनांक :– 31.7.2023

पत्रावली पेश हुई । प्रश्नगत प्रकरण में इस अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा.पत्र का संक्षिप्त वृतांत इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने इस आशय का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश किया कि ग्राम काटरवाडा पटवार हलका बडियाखुर्द तह.बसवा में स्थित खाता संख्या 71 के आराजी खसरा नंबर 12 रकबा 0.13 हैक्टयर, 13 रकबा 0.79 हैक्टयर, 134 रकबा 0.26 हैक्टयर, 135 रकबा 0.20 हैक्टयर, 14 / 493 रकबा 0.03 हैक्टयर, 20 / 492 रकबा 0.04 हैक्टयर, 21 रकबा 0.08 हैक्टयर, 22 रकबा 0.32 हैक्टयर, 466 रकबा 0.42 हैक्टयर, 481 रकबा 2.50 हैक्टयर कुल किता 10 कुल रकबा 4.76 हैक्टयर भूमि मुतदाविया है । प्रार्थीगण मृतक रेवड के पुत्र कल्याण की पुत्रिया हैं प्रार्थियान के पिता कल्याण की मृत्यु रेवड से पहले हो गई थी, प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी नं. 01 लगायत 05 मृतक रेवड के वैद्य प्रतिनिधि एवं वारिसान हैं । भूमि मुतदाविया पक्षकारान की पैतृक संपत्ति है जो कि प्रार्थीगण के दादाजी एवं अप्रार्थी 01 लगायत 03 एवं 05 के पिता मृतक रेवड से प्राप्त हुई संपत्ति है । भूमि मुतदाविया के साबिका खसरा नंबर 963 एवं 150 रहे हैं । मिलान क्षैत्रफल तथा भूप्रबन्धक खतोनी संवत् 2052 से 2069 संलग्न प्रा.पत्र हैं । अप्रार्थीगण 01 लगायत 03 ने राजस्व अहलकारान से सांठगांठ करके प्रार्थियान के दादा रेवड की विरासत का नामान्तकरण 17 दिनांक 24.8.1998 को गलत विधिविरूद्ध तरीके से अप्रार्थी नं. 01 लगायत 03 तथा इनकी मां अर्थात् रेवड की पत्नी घीसी के नाम हिस्सा 1 / 4 में [redacted] लिया । अप्रार्थी नं. 1 भूमि मुतदाविया में स्वयं के नाम दर्ज अधिक हिस्सों का नाजायज लाभ उठाकर दीगर लोगों को बेचने पर आमादा है । भूमि मुतदाविया में स्वयं के हिस्से से अधिक दर्ज भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है । यदि अप्रार्थी नंबर 01 अपने नाजायज मकसद में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी । प्रार्थी अपने जायज हक हकूक भूमि मुतदाविया में अपने हिस्से 1 / 5 से वंचित हो जावेगी तथा प्रार्थी को अकारण ही अनेकों किस्मों के मुकदमों में उलझना पडेगा जिसके चलते प्रार्थीगण के धन एवं समय की बर्बादी होगी इसलिए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाना न्यायोचित है ।

प्रार्थीयान के अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा दिनांक 31.3.2022 को इस आशय का अंतरित अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया कि अप्रार्थीगण को

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 28.4.2022 तक इस आशय से प्रतिबधित किया जाता है कि ग्राम काटरवाडा तहसील बसवा जिला दौसा स्थित खाता संख्या नया 71 पुराना 70 आराजी खसरा नंबर 12, 13, 134, 135, 14/493, 20/492, 21, 22, 466, 481 कुल किता 10 कुल रकबा 4.76 हैक्टयर में मौका व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखें । प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जरिये टी.आई नोटिस रजि.एडी.जारी कर पत्रावली 28.4.2022 को पेश हो ।

प्रकरण को दर्ज रजि.करके अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थी सं. 2, 5, 6, 7 बाद तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । प्रतिवादी संख्या 1 व 4 की ओर से प्रतिवादी वकील अनुपस्थित रहने से साक्ष्य बंद किये गये । प्रतिवादी सं. 2 की ओर से एडवोकेट श्री अनिल पोसवाल उपस्थित आए एक्स पार्टी के संबंध में सेट असाइड प्रा.पत्र पेश किया जिस पर वादी वकील द्वारा अनापत्ति जाहिर करने से प्रतिवादी नं.2 को पुनः अस्थाई निषेधाज्ञा में शामिल किया गया ।

आज दिनांक 31.7.2023 को दौरान बहस टी.आई. के दौरान वकील प्रार्थीयान उपस्थित आए एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 उपस्थित आए उनके द्वारा न्यायालय को अवगत कराया कि उनके मध्य राजीनामा हो गया है । आपसी सहमति के आधार पर अस्थाई नि. प्रा.पत्र को खारिज किया जावे ।

अतः जबकि वादी वकील द्वारा बहस के दौरान इस टी.आई को खारिज करने का निवेदन किया है, उसके संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा बरकरार रखने के लिये तीनों महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर मंथन किया गया, जो निम्न प्रकार है :–

1. **सुविधा का संतुलनः–** वादी वकील द्वारा इस प्रकरण में बहस के दौरान अपना कथन रखा है कि अब उनका राजीनामा हो गया है टी.आई खारिज किया जावे, स्थिति स्पष्ट है कि अब सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में निरूपित नहीं होता है ।
2. **अपूरणीय क्षति का सिद्धांत :–**बहस के दौरान इस तथ्य पर उभय पक्षकारान द्वारा जोर दिया गया है कि उनका जारीनामा हो चुका है, तो अपूरणीय क्षति का प्रश्न भी वादीगण के पक्ष में तय नहीं होता है, प्रकरण खारिज योग्य है ।
3. **प्रथम दृष्टया मामला :–** प्रकरण के गहन अध्ययन के उपरांत यह पूर्णतया निश्चयन हो जाता है कि प्रकरण में राजीनामें के उपरांत प्रकरण को लंबित रखना पक्षकारों का आपसी सद्भाव और समन्वय कलुषित करेंगा अतः बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में तय नहीं होता है ।

प्रकरण के समपूर्ण अध्ययन एवं बहस के उपरांत हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि प्रार्थना पत्र अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है ।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर, दाखिल दफ्तर होकर नंबर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो ।

(डॉ.नवनीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,बसवा
जिला-दौसा

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)